मनमोहन व अन्य

बनाम

मो. मोहिनुद्दीन अली खान (मृत) जरीये विधिक प्रतिनिधि

(सिविल अपील नं. 5539/2001)

09 मई, 2008

(तरुण चटर्जी और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.)

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950, एसएस. 2(जी), 40, 44, 45 व 46 और स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र क्रमांक 650 दिनांकित 30 मार्च, 1951 को राजस्व मंडल द्वारा जारीः

कृषिगत काश्तकारी/संरक्षित काश्तकारी - निष्कासन याचिका - प्राधिकरण द्वारा अनुमत -काश्तकारी बहाली के लिए आवेदन - अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत - अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अनुमत विरुद्ध अपील - संशोधन याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा वास्तविक स्वामी के गोदपुत्र के अधिकार पर संदेह व्यक्त करते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि वास्तविक स्वामी एवं उसकी उत्तराधिकारी विचाराधीन भूमि का पुनः कब्जा प्राप्त होने पर खेती करना जारी रखे। अवैध अभिनिर्धारित कियाः संरक्षित काश्तकारी के आवेदन की बहाली के लिए कोई बाधा नहीं है, जैसा कि संरक्षित काश्तकारीके अधिकार कुछ अपवादों के साथ वंशानुगत हैं, जो कि हस्तगत मामले के विचारणीय नहीं हैं। यदि भूस्वामी भूमि पर खेती नहीं करता है तो काश्तकार को कब्जा वापस लेने का अधिकार है। कब्जा वापस प्राप्त होने के उपरान्त खेती करना बंद करके/अधिनियम की धारा 2(जी) के अनुसार दो व्यक्तियों को उनका हिस्सा देकर भूस्वामी/उत्तराधिकारी द्वारा की गई खेती व्यक्तिगत कृषि की श्रेणी में नहीं आएगी। राजस्व मंडल द्वारा जारी स्पष्टीकरण् परिपत्र लागू नहीं होगा। साथ ही परिपत्र अधिनियम की धारा 2(जी) के वैधानिक प्रावधानों पर प्रभावी नहीं हो सकता। कृषि काश्तकारों/संरक्षित काश्तकार।

मूल भूमि मालिक द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था।भूमि के वास्तविक स्वामी द्वारा धारा 44 आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) काश्तकारी एवं कृषि भूमि अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी काश्तकार के पूर्ववर्ती संरक्षित काश्तकार के हितों के निर्धारण हेतु

आवेदन प्रस्तुत किया। अधिकारियों द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार किया गया। अपीलार्थीगण जो कि उक्त काश्तकार के उत्तराधिकारी थे, द्वारा अधिनियम धारा 45 व 46 के अंतर्गत कब्जे की बहाली हेतु इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया कि वास्तविक भू-स्वामी के उत्तराधिकारियों के द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा आवेदन को निरस्त किया गया। इसके उपरांत वास्तविक उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को ी अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। भूस्वामी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई। जो कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य राजस्व मंडल के परिपत्र सं. 650 दिनांकित 30 मार्च, 1951 के आधार पर स्वीकार कर यह निर्धारित किया कि भूमि के वास्तविक स्वामी द्वारा तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों द्वारा दो अन्य व्यक्तियों की सहायता से भूमि पर कृषि कार्य किया गया। अतः हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी काश्तकारों द्वारा तर्क लिया गया कि यद्यपि अपीलार्थी सं. 1 को वास्तविक स्वामी द्वारा गोद लिया जाना अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है, परन्तु एक क्षण के लिए गोद नहीं लिया जाना मानने के उपरान्त भी इस तथ्य को कि तीन अन्य दावेदार उसके उत्तराधिकारी के स्वीकार किया गया है तदनुसार धारा 45 व 46 के अंतर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय है। कि अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, यदि भूस्वामी ने उक्त प्रावधान में निर्धारित समय के भीतर खेती नहीं की, तो काश्तकार इस उद्देश्य से किए गए आवेदन के आधार पर भूमि बहाली के हकदार थे और चूंकि अंतिम तथ्य न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राय दी थी कि न तो मूल मालिक और न ही उसके उत्तराधिकारियों ने भूमि पर कृषि कार्य किया, अतः अपीलार्थी सफलता के हकदार थे। प्रतिवादी भूस्वामी ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी सं. 1 को गोदनामे का प्रमाण पत्र दिये जाने का तहसीलदार का आदेश पूर्णतः न्यायाधिकार के बिना था और कि भूस्वामी अथवा उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा भूमि पर खेती करने में कब व्यस्त हुए थे, इस बात का कोई सबूत नहीं था।

कोर्ट के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए यह माना-

1.1 यह यह सत्य है कि विवाद में संपत्ति का मूल मालिक 1973 तक जीवित रहा, लेकिन उसने आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) के कृषिगत भूमि अधिनियम की धारा 45 व 46 के संदर्भ में आवेद करने का विकल्प नहीं चुना और यह कार्य उसने अपनी मृत्यु

के पश्चात अपने उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाना छोड दिया। ऐसे आवेदन के रख-रखाव में कोई बाधा नहीं है और इसके विपरीत अधिनियम की धारा 40 का अवलोकन स्पष्ट करता है कि संरक्षित काश्तकारों के अधिकार, कुछ अपवाद जिनका इस मामले में कोई सरोकार नहीं है, के अलावा वंशानुगत हैं।

1.2 अधिनियम के प्रावधानों 45 व 46 के खुले अवलोकन से पता चलता है कि एक काश्तकार को स्वामित्व का हकदार है यदि मालिक भूमि पर निजी रूप से कृषि कार्य नहीं करता है अथवा कृषि कार्य शुरू करने के बाद 10 साल के समय के भीतर ही बंद कर देता है।

1.3 यह स्वीकृत स्थिति प्रतीत होती है कि व्यक्तिगत कृषि कार्य जो कथित रूप से मूल भूस्वामी द्वारा जारी रखा गया था, अधिनियम की धारा 2(जी) के उपखण्डों प व पप के अंतर्गत नहीं आता है और विवाद अधिनियम की धारा 2(जी) के उपखण्ड (पपप) के अधीन परिकल्पित कृषि कार्य से संबंधित है।

1.4 यह स्पष्ट है कि चूंकि भूमि पर कृषि कार्य भूस्वामियों को फसल का एक हिस्सा देते हुए दो व्यकितयों द्वारा किया जा रहा था, अतः यह अधिनियम की धारा 2(जी) के संदर्भ में व्यक्तिगत कृषि कार्य के समान नहीं होगा।

1.5 राजस्व बोर्ड द्वारा 1951 में जारी स्पष्टीकरण परिपत्र लागू नहीं होती क्योंकि यह किसी का मामला नहीं है कि खेती में लगे व्यक्ति खेती में लगे खर्चे भी साझा कर रहे थे। इसके अलावा यह परिपत्र अधिनियम की धारा 2(जी) के उपखण्ड (पपप) के अधीन वैधानिक प्रावधान को समाप्त नहीं करेगा जो 1961 में अधिनियम में शामिल किया गया था। अतः इस आधार पर अपीलार्थी को अवश्य ही सफल होना चाहिए।

(सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 5539/2001)

सीआरपी सं. 2336/1997 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांकित 17.02.1999

अपीलार्थियों हेतु के. अमरेश्वरी, के. मारुति राव, के. राधा, राणा कमल व अंजनी अयागरी।

प्रतिवादियों हेतु एम. एन. राव, भास्कर गुप्ता, सुधा गुप्ता, बी. श्रीराम, विवेक जैन, ए. रमेश व अंशुमन अशोक।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा

हरजीत सिंह बेदी, जे.

1. यह अपील आंध्र प्रदेश के निर्णय दिनांकित 17 फरवरी, 1999 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके कारण अपीलार्थी की संरक्षित काश्तकार का दर्जा प्राप्त करने की याचिका, जो आंध्र प्रदेश(तेलंगाना क्षेत्र) काश्तकारी एवं कृषि अधिनियम, 1950 की धारा 45 के अधीन है(बाद में इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया), को खारिज कर दिया गया है। तथ्य इस प्रकार हैंः-

2. दिलावर अली खान मूल भूस्वामी था। उसने अपीलकर्ताओं, एक रामलिंगम जो एक संरक्षित काश्तकार था, के हित में पूर्ववर्ती की संरक्षित काश्तकारी के निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत आवेदन किया। उक्त आवेदन को वर्ष 1967 में अनुमति दी गई थी, काश्तकारी समाप्त की गई और भूस्वामी का उस पर कब्जा ले लिया गया। अपीलकर्ताओं ने रामलिंगम(जो 1973 में मर गया था) के उत्तराधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 45 व 46 के अधीन स्वामित्व की बहाली हेतु आवेदन किया, जिसमें आरापे लगाया गया कि दिलावर अली खान और उसकी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी विवादित भूमि पर खेती करने में विफल रहे थे, जैसा कि अधिनियम की धारा 45 के द्वारा विचार किया गया है और इस प्रकार, वे कब्जे की बहाली के हकदार थे। उक्त याचिका का भूस्वामियों के द्वारा विरोध किया गया और इसने दावा किया है कि अधिनियम की धारा 44 के अधीन काश्तकारी की समाप्ति के बाद, दिलावर अली खान ने भूमि पर कृषि कार्य उस पर बडा निवेश करके किया था और कि उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों ने भूमि पर गोपैया और हनुमैया की सहायता से, उनको मजदूरी का गैर नकदी भुगतान करके, भूमि पर कृषि कार्य किया था। यह भी दलील दी गई थी कि रामलिंगम की मृत्यु निःसन्तान हुई थी और कि अपीलकर्ताओं में से एक, मनमोहन, जिसने उसका दत्तक पुत्र होने का दावा किया, वास्तव में ऐसा नहीं था और इस तरह आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था। राजस्व अधिकारी ने दोनों पक्षों से साक्ष्य मांगे और उनके विश्लेषण के बाद, रख-रखाव के सवाल और तथ्यों पर भी आवेदन को अनुमत किया।

3. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने संयुक्त कलेक्टर के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। इस अधिकारी ने पाया कि वास्तव में आवेदक रामलिंगम के

उत्तराधिकारी थे और कि न तो दिलावर अली खान और न ही उसके उत्तराधिकारियों ने अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत आवेदन पर भूमि उनको बहाल कर दिये जाने के बाद, भूमि पर खेती की। तदनुसार अपील स्वीकार की गई। इससे व्यथित होकर अधिनियम की धारा 44 के अधीन भूस्वामियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन याचिका दायर की। न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांकित 17 फरवरी, 1999 में कहा कि रामलिंगम के हाथों में काश्तकारी, अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत 1967 में समाप्त कर दी गई और यद्यपि रामलिंगम 1973 तक जीवित रहा था, परंतु उसने भू स्वामियों के द्वारा की जा रही खेती के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया था। अदालत ने कहा कि मनमोहन द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र के रूप में दिए गए गोद लेने के दावे पर स्पष्ट संदेह था, जिसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसके दावे को स्वीकार करते हुए जारी किया गया था क्योंकि रामलिंगम के दत्तक पुत्र का कोई मूल्य नहीं था क्योंकि सिर्फ सिविल न्यायालय ही था जो ऐसी घोषण कर सकता था। निष्कर्ष में न्यायालय ने इस प्रकार कहाः

> ‘‘हमारी राय में यह स्थापित करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी मृत रामलिंगम के उत्तरवर्ती एवं विधिक प्रतिनिधि हैं अतः वे अधिनियम की धारा 45 व 46 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं हैं।

4. तदुपरान्त न्यायालय द्वारा उस कारणों की जांच की गई जिनके आधार पर दावा पेश किया गया था तथा निर्धारित किया कि साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि दिलावर खान से वास्तव में पम्प व इलेक्ट्रिक मोटर को स्थापित करने में अत्यधिक पैसा निवेश किया है। यद्यपि यह स्वीकृत है कि उसने उत्तरजीवियों द्वारा कृषिकार्य में गोपीनाथ व हनुमैया की मदद ली है। साक्ष्य के परिशीलन से यह जाहिर होता है कि उन्हें बंटाई अर्थात फसल के हिस्से के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। इस प्रकार भूमि को भूस्वामियों द्वारा खेती किया जाना माना जाएगा। न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल द्वारा 30 मार्च 1951 को स्थायीकरण परिपत्र सं. 650 को भी निर्णयाधार बनाया गया जिसके अनुसार यदि भूस्वामी और एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से कृषि करते हैं तथा संयुक्त खर्चा लगाते हैं व संयुक्त पैदावार लेते हैं तो इच्छानुसार खातेदारी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तदनुसार उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त आयुक्त के आदेश से अपास्त किया एवं राजस्व अधिकारी के आदेश को बहाल किया। इन परिस्थितियों में खातेदार हमारे समक्ष उपस्थित हुए।

5. श्रीमति के. अमरेश्वरी विद्वान वरिष्ठ वकील खातेदार अपीलार्थी ने यह तर्क किया कि यद्यपि मनमोहन का रामलिंगम का गोदपुत्र होना अभिलेख से प्रमाणित है परन्तु यह मान भी लिया जाए कि गोद जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है तो भी अन्य तीन दावेदार एरम्मा, यदवैया व ईश्वरैया का उनका विधिक उत्तराधिकारी होना स्वीकृत है। तदनुसार वे अधिनियम की धारा 45 व 46 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु हकदार हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि धारा 45 के अनुसार यदि भूस्वामी उक्त उपबंध के अन्तर्गत विहित समय के भीतर भूमि को काश्त नहीं करता है तो काश्तकार भूमि पुनः प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं तथा इस हेतु आवेदन प्रस्तुति पर इस सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त जो कि तथ्यों के संबंध में अंतिम न्यायालय है, जो स्पष्ट रूप से राय दी है कि न तो दिलावर अली खान और न ही उसके उत्तरवर्तियों द्वारा भूमि को काश्त किया गया। अपीलार्थी सफल होने के अधिकारी थे।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा यद्यपि यह इंगित किया गया कि तहसीलदार द्वारा जारी मनमोहन का गोद प्रमाण पत्र बिना किसी क्षेत्राधिकार के जारी किया गया था तथा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि गोपैया व हनुमैया कब से दिलावर अली खान व उसके उत्तरवर्ती की भूमि काश्त कर रहे हैं, अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. हमने उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। हमारी राय में हमें इस तथ्य की रोशनी में की कब्जा की पुनर्प्राप्ति हेतु अन्य तीन दावेदार जो की स्वीकृत रूप में रामलिंगम के उत्तराधिकारी हैं अधिनियम की धारा 45 व 46 के अन्तर्गत आवेदन पेश करने हेतु सक्षम है, मनमोहन की रामलिंगम के गोदपुत्र होने की परिस्थिति पर विचार नहीं करना है। यह सही है कि जैसा कि विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रामलिंगम सन् 1973 तक जीवित रहा परन्तु उसने अपने जीवन में अधिनियम की धारा 45 व 46 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया एवं यह कार्य अपनी मृत्यु के पश्चात अपने उत्तराधिकारियों के जिम्मे छोड दिया। अधिनियम की धारा 40 के अवलोकन से उसके विपरीत यह स्पष्ट होता है कि संरक्षित काश्तकारी अधिकार कुछ अपवादों के साथ वंशानुगत है जो अपवाद हस्तगत प्रकरण में विचारणीय नहीं हैं।

8. इस पृष्ठभूमि में मुख्य मुद्दा यह होगा कि क्या दिलावर अली खान एवं उसके उत्तराधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 45 के अनुसार भूमि की काश्त की आय यदि नहीं तो इसका क्या प्रभाव होगा। धारा 45 व 46 उद्धृत की जा रही हैंः-

"45. यदि भूमिधारक एक वर्ष के भीतर खेती करने में विफल रहता है तो उसे कब्जा बहाल करना होगा-

(1) यदि धारा 44 के तहत किरायेदारी की समाप्ति पर भूमि धारकः

(ए) उस तारीख से एक वर्ष के भीतर जिस पर उसने भूमि का कब्जा फिर से शुरु किया था, उस पर व्यक्तिगत रुप से खेती नहीं करता है, या

(बी) ऐसी खेती शुरु करने के बाद, उक्त तिथि के दस साल के भीतर इसे बंद कर देता है, वह तुरंत किरायेदार को भूमि का कब्जा वापस कर देगा, जिसकी किरायेदारी उसके द्वारा समाप्त कर दी गई थी, जब तक कि उसने किरायेदार से लिखित रुप में इसे स्वीकार करने से इंकार नहीं कर लिया हो। किरायेदारी की समाप्ति से पहले प्रचलित नियमों और शर्तों पर किरायेदारी या उक्त नियमों और शर्तों किरायेदार को भूमि का कब्जा देने के लिए लिखित रुप में पेशकश की है और किरायेदार इसकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार करने में विफल रहा हैः

बशर्ते कि संरक्षित किरायेदार द्वारा किरायेदारी स्वीकार करने से ऐसा इंकार तहसीलदार के समक्ष उसकी संतुष्टि से दर्ज किया जाएगा।

(2) किरायेदार द्वारा उपधारा (1) के तहत भूमि पर कब्जा वापस पाने के बाद, वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इसे उन नियमों और शर्तों पर अपने पास रखेगा, जिन पर उसने अपनी किरायेदारी की समाप्ति से ठीक पहले इसे अपने पास रखा था।

(3) यदि भूमिधारक उप-धारा (1) में दिये गए प्रावधान के अनुसार किरायेदार को भूमि का कब्जा बहाल करने में विफल रहता है तो वह किरायेदार को ऐसे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो किरायेदार को निष्कासन के कारण हुए नुकसान के लिए तहसीलदार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजनों के लिए संरक्षित किरायेदार के संदर्भ में धारा 40 के स्पष्टीकरण में उल्लेखित उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे।

46. किरायेदार द्वारा कब्जा वापस पाने के लिए आवेदनः यदि किसी भी समय किरायेदार तहसीलदार को आवेदन कर संतुष्ट करता कि भूमिधारक धारा 45 के प्रावधानों की उचित समय में अनुपालना करने में विफल रहा है तो संरक्षित किरायेदार तत्काल कब्जा प्राप्त करने के लिए तहसीलदार के निर्देश का हकदार होगा। भूमि का ऐसा मुआवजा उस किरायेदार को तहसीलदार द्वारा दिलाया जा सकता है, जो किरायेदार को उसकी बेदखली के कारण और भूमिधारक द्वारा भूमि को बहाल करने या उस पर कब्जा देने में विफलता के लिए हानि हुई, जैसा कि इस धारा की आवश्यकता है।"

9. उक्त दोनों प्रावधानों के मात्र अवलोकन से यह जाहिर होता है कि जहां भूस्वामी व्यक्तिगत रूप से भूमि को काश्त नहीं करता है या काश्त प्रारम्भ करने के बाद 10 वर्षों के भीतर काश्त करना बंद कर देता है, वहां काश्तकार कब्जे की पुनर्प्राप्ति का अधिकारी है। अधिनियम की धारा 2(जी) के अनुसारः-

"2(जी) "व्यक्तिगत रूप से खेती करना" का अर्थ है अपने खाते पर

खेती करना:

(i) अपने स्वयं के श्रम से; या

(ii) किसी के परिवार के किसी सदस्य के श्रम से; या

[(iii) नौकरों द्वारा नकद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी पर, लेकिन

फसल के हिस्से में या किसी की व्यक्तिगत देखरेख में या किसी के

परिवार के किसी सदस्य की व्यक्तिगत देखरेख में किराए के श्रम द्वारा नहीं;]

स्पष्टीकरण: अविभाजित हिंदू परिवार के मामले में, भूमि को व्यक्तिगत रूप से खेती योग्य माना जाएगा, यदि उस पर ऐसे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा खेती की जाती है।"

यह स्वीकृत स्थित प्रतीत होती है कि दिलावर अली खान द्वारा तथाकथित व्यक्तिगत रूप से एवं उसके उत्तरवर्तियों द्वारा किए गए कृषि कार्य उप धारा (1) या (2) के अधीन नहीं आते हैं एवं काश्तकारी का विवाद उपधारा (3) में बतायी गई प्रकृति का है। भूस्वामियों का यह पक्ष है कि वह गोपैया व हनुमैया के माध्यम से कृषि कर रहे थे तथा उन्हें वस्तु के रूप में भुगतान कर रहे थे। श्रीमति के. अमरेश्वरी विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया गया कि दिनांक 24 जनवरी 1974 को लेखबद्ध किए गए गोपैया व हनुमैया के बयानों व अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा 1967 में दिलावर अली खान द्वारा भूमि का कब्जा लेने के उपरान्त से ही उपज के आधे हिस्से के हिसाब से दिलावर अली खान की ओर से बटाई पर कृषि कार्य किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि इन दो व्यक्तियों द्वारा उपज का आधा हिस्सा भूस्वामियों को देकर कृषि करना व्यक्तिगत काश्तकारी नहीं माना जा सकता। यहां 1951 का स्पष्टीकरण परिपत्र लागू नहीं होता क्योंकि यहां यह मामला नहीं है कि गोपैया व हनुमैया भी खर्चों का वहन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त परिपत्र 1961 के अधिनियम के धारा 2 (जी)(3) के वैधानिक उपबंधों पर अधिभावी नहीं हो सकता है। अतः हमारी राय में इस आधार पर अपीलार्थी सफल होने योग्य है। तदनुसार उच्च न्यायालय आदेश अपास्त किया जाता है तथा दिनांक 16 जून 1977 का संयुक्त कलेक्टर के आदेश को बहाल किया जाता है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिना परिहार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।